संख्या-18/2024 /476/002-78-02099/55/2023

प्रेषक,

रवि रंजन
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,उद्योग
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च,2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार की शासकीय सेवाओं को आम जनमानस को सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने के लिये रु0 52]42]150.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी के पत्र संख्या-CeG/P/09/SI/492/2024, दिनांक 20-03-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में प्रदेश सरकार की शासकीय सेवाओं को आम जनमानस को सरलता एवं सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराये जाने के लिये चयनित सर्विस इंटीग्रेटर द्वारा की गयी कार्यवाही हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 100.00 लाख के सापेक्ष अद्यतन उपलब्ध अवशेष धनराशि रु0 78.17 लाख में से रु0 52]42]150.00 (रुपये बावन लाख बयालीस हजार एक सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक] उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में निविदा / कार्यादेश की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल] लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक] यूपीडेस्को द्वारा धनराशि आहरित कर राज्य समन्वयक] सीईजी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक] यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज] निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के भुगतान से पूर्व राज्य समन्वयक] सीईजी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया / राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनश्चित किया जाए।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल] वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च] 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

(11) प्रबन्ध निदेशक] यूपीडेस्को /राज्य समन्वयक] सीईजी धनराशि से सम्बन्धित आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(12) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को / राज्य समन्वयक] सीईजी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराकर इन्टीग्रेटेड सेवाओं का एनआईसी से प्राप्त सत्यापन प्रमाण-पत्र राज्य समन्वयक] सीईजी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है] तो उसे प्रबन्ध निदेशक] यूपीडेस्को / राज्य समन्वयक] सीईजी द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(15) कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना प्रबन्ध निदेशक] यूपीडेस्को / राज्य समन्वयक] सीईजी द्वारा शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) प्रबन्ध निदेशक] यूपीडेस्को / राज्य समन्वयक] सीईजी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इस आहरण / भुगतान में किसी प्रकार से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

3- इस संबंध में होन वाला व्यय रु0 52]42]150.00 (रुपये बावन लाख बयालीस हजार एक सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक 2852072023102 पार्टल पर सेवाओं में विस्तार हेतु सर्विस इंटीग्रेटर का चयन मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 18 /2024/ 476/002-78-02099/55/2023 एवं दिनांक तद्नुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक] सीईजी] गोमती नगर] लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ।
11. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन] बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-। उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in